संख्या 81 /54–2–12/1(5)/2010

प्रेषक,

आनन्द कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
स्टेट लेविल नोडल एजेंसी
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– **आयुक्त एवं प्रशासक,**
शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास परियोजना,
23 सी गोखले मार्ग,लखनऊ।

2– **अध्यक्ष एवं प्रशासक,**
रामगंगा समादेश क्षेत्र विकास परियोजना,
117/एच–2/193, पाण्डुनगर, कानपुर।

भूमि विकास एवं जल संसाधन अनुभाग–1 (समादेश बन्धु) लखनऊ दिनांक 11 फरवरी, 2013

विषय– समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (IWMP)के अन्तर्गत परियोजना कार्यान्वयन एजेन्सी (पीआईए) स्तर पर वाटरशेड डेवलपमेंट टीम (WDT) को शासनादेश के अनुरूप गठित करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या– 827/54–1–12/1 (5)/2010 दिनॉक 12 नवम्बर, 2012 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (IWMP) के अन्तर्गत परियोजना कियान्वयन एजेन्सी (पीआईए) स्तर पर वाटरशेड विकास दल (WDT) के गठन के निर्देश दिये गये है।

उक्त शासनादेश के द्वारा आईडब्ल्यूएमपी की संचालित दो परियोजनाओं के मध्य बहुआयामी तकनीकी योग्यता वाले कम से कम चार सदस्यों वाली एक वाटरशेड विकास दल (WDT) का गठन किया जायेगा। आईडब्ल्यूएमपी योजना के कियान्वयन हेतु भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार स्तर से निर्गत कामन गाइड लाइन 2008 (संशोधित 2011) के प्रस्तर 40 में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक वाटरशेड विकास दल में मुख्यतः कृषि, मृदा विज्ञान, जल प्रबन्धन तथा संस्थागत निर्माण में व्यापक जानकारी और अनुभव रखने वाले कम से कम चार सदस्य शामिल होने चाहिये।

वर्तमान में डब्ल्यू.सी.डी.सी. एवं डब्ल्यू.डी.टी. में विशेषज्ञ एवं कार्मिक उपलब्ध कराने हेतु स्टेट लेविल नोडल एजेंसी द्वारा सेवा प्रदाता के रूप में विबग्योर इन्फो प्राइवेट लि0 को अनुबन्धित किया गया है। अनुबन्धित फर्म द्वारा मॉग के अनुरूप कार्मिक उपलब्ध कराये जायेंगे।

डब्ल्यूसीडीसी एवं डब्ल्यूडीटी के गठन एवं कार्मिकों की उपलब्धता के संबंध में क्षेत्रीय स्तर से उपलब्ध करायी गयी सूचना तथा दिनॉक 23.01.2013 की समीक्षा बैठक में इस संबंध में क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा दी गयी प्रगति से यह ज्ञात हुआ कि अधिकांश इकाईयों में निर्देशों के अनुरूप वाटरशेड विकास दल (WDT) का गठन नही किया गया है और न ही वाटरशेड विकास दल में निर्धारित योग्यता के कार्मिकों की तैनाती सुनिश्चित करायी गयी है, जिसका सीधा प्रभाव आईडब्ल्यूएमपी योजना के कियान्वयन पर पड़ रहा है। दिनॉक 23.1.2013 की समीक्षा बैठक में सभी क्षेंत्रीय अधिकारियों को यह कड़े निर्देश दिये गये थे कि माह जनवरी के अंत तक शासनादेश दिनॉक 12 नवम्बर, 2012 तथा आईडब्ल्यूएमपी योजना की कामन गाइड

लाइन 2008 (संशोधित–2011) के प्रस्तर–40 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप डब्ल्यूडीटी का गठन सुनिश्चित करते हुए इसकी सूचना उपलब्ध करायें।

उपरोक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समादेश स्तर पर इसकी सघन समीक्षा करते हुए वॉछित सूचना दिनॉक 12.02.2013 तक शासन को उपलब्ध कराये। दिनॉक 13.02.2013 को मा0 मंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस सम्बन्ध में विस्तृत समीक्षा की जायेगी।

भवदीय,

(आनन्द कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या– 11 (1)/54–1–12/1(5)/2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर, उ0प्र0 (जनपद गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, कांशीरामनगर तथा शामली को छोड़कर)
2– कृषि निदेशक, उ0प्र0, कृषि निदेशालय, लखनऊ।
3– समस्त उपनिदेशक, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0
4– समस्त भूमि संरक्षण अधिकारी, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0
5– प्रशासनिक अधिकारी, एसएलडीसी, 23–सी, गोखले मार्ग, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट–http://upldwr.up.nic.in पर अपलोड करना सुनिश्चत करें।

08.2.13

(आनन्द कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव